प्रेस नोट दिनांक 10.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0-10.09.2025
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 मो0 शमशेर आलम मय हमराह उ0नि0 विनोद कुमार सिंह व म0का0 प्रेमत के द्वारा माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेशों के अनुपालन में एनबीडब्ल्यू व धारा 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त रजत उर्फ शरद सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी पर्वतपुर थाना जामो जनपद अमेठी (सुल्तानपुर) उम्र 34 वर्ष को सम्भई चौराहा जनपद अमेठी (सुल्तानपुर) से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रजत उर्फ शरद सिहं पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी पर्वतपुर थाना जामो जनपद अमेठी (सुल्तानपुर) उम्र 34 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 65/2015 धारा 323,506 भादवि थाना जामो जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 435/2015 धारा 504,506 थाना थाना जामो जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0 504/2017 धारा 120बी,302,307,504 भादवि धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना थाना जामो जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0 151/2018 धारा 2/3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना जामो जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0 310/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0 918/2015 धारा 147,148,149,308,323,325 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2025
थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में कंधई पुलिस की बड़ी सफलता, पम्पिंग सेट इंजन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश-
थाना कंधई पुलिस द्वारा पम्पिंग सेट इंजन चोरी के तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा एवं चोरी का माल बरामद-
अभियुक्तों को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत पहलवान बाबा का ईनारा से करीब 300 मीटर पश्चिम नहर के पास ग्राम ईशनपुर से गिरफ्तार किया गया है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम दूलापुर थाना कंधई प्रतापगढ की ग्राम रामपुर गांव में खेत में सिंचाई के लिये वह पम्पिंग सेट लगा रखा था। दिनांक-01-09-2025 को जब वह खेत देखने गया तो देखा उसके पम्पिंग सेट का इंजन गायब था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/25 धारा 303 (2)बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेत्तृत्व में थाना कंधई के व0उ0नि0 असलम खान मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, का सलमान अहमद, का० रामजी कुशवाहा, का0 अनिल दक्ष द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 220/25 धारा 303 (2)बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. धीरज गिरि सुत जीतलाल गिरि हुलिया उम्र करीब 20 वर्ष, 2. रहमान अली उर्फ भोटू सुत वाहिद अली उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम जोगीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ 3. मो0 मेराज उर्फ गोलू पुत्र शौकत अली उर्फ बदलू उम्र करीब 18 वर्ष नि०ग्राम ईशनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत पहलवान बाबा का ईनारा से करीब 300 मीटर पश्चिम नहर के पास ग्राम ईशनपुर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुकों के कब्जे से 01 अदद लोहे का स्टेन्ड मय 02 अदद टायर मय रिंग के, 01 अदद लोहे का पंम्पिग सेट इंजन, 01 अदद लोहे का धु(क्राउन), 01 बन्डल लोहे का रिंच, 01 अदद लोहे का सलाई रिंच,01 अदद लोहे का पेचकस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पेण्डर प्लस मय एक अदद ई-रिक्सा बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त धीरज गिरि उपरोक्त ने बताया कि मैं तथा रहमान अली उर्फ भोटू व मो० मेराज उर्फ गोलू ने मिलकर दिनांक 31/8/2025 की रात में रामपुर से पम्पिंग सेट इंजन खोलकर चोरी कर यहां नहर के किनारे झाडी में छुपाये थे। आज इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया।

अभियुक्त मो0 मेराज उर्फ गोलू उपरोकत ने बताया कि अभी जो धीरज गिरि ने आपको बताया है इसी कारण से हम लोग आप लोगो को देखकर भाग रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। हम लोगो ने दिनांक 31/8/2025 की रात में रामपुर से पम्पिंग सेट इंजन खोलकर चोरी कर मेरी मोटरसाइकिल हीरो स्पेण्डर से खींच कर पक्की रोड पर लाकर अपनी इसी ई-रिक्सा से यहां लाकर नहर के किनारे झाडी में छुपाये थे। आज इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे।

अभियुक्त रहमान अली उर्फ भोटू उपरोक्त ने बताया कि अभी जो धीरज गिरि ने आपको बताया है इसी कारण से हम लोग आप लोगो को देखकर भाग रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। अभियुक्तगण से रिंच व पेचकस के बारे

में पूछा गया तो सभी ने एक स्वर में बता रहे है कि इसी दो रिंच व पेचकस से हम लोग इस पम्पिंग सेट इंजन को खोलकर चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. धीरज गिरि सुत जीतलाल गिरि हुलिया उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
2. रहमान अली उर्फ भोटू सुत वाहिद अली उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
3. मो0 मेराज उर्फ गोलू पुत्र शौकत अली उर्फ बदलू उम्र करीब 18 वर्ष नि०ग्राम ईशनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-

01 अदद लोहे का स्टेन्ड मय 02 अदद टायर मय रिंग के, 01 अदद लोहे का पंम्पिग सेट इंजन, 01 अदद लोहे का धु(क्राउन), 01 बन्डल लोहे का रिंच, 01 अदद लोहे का सलाई रिंच,01 अदद लोहे का पेचकस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पेण्डर प्लस मय एक अदद ई-रिक्सा बरामद।

पुलिस टीम-

व0उ0नि0 असलम खान मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, का सलमान अहमद, का० रामजी कुशवाहा, का0 अनिल दक्ष थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2025 थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

उ0नि विकास प्रधान व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा की सतर्कता से 25000/- रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना बाघराय के उ0नि विकास प्रधान व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा ने 25000/- रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

उ0नि विकास प्रधान व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के उ0नि विकास प्रधान व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना बाघराय द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गलगली मोड पुलिया के पास से 25000/- रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर गोवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0, धमकी, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट जैसे लगभग 07 संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि विकास प्रधान व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा के सहयोग से थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 26/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़ में वांछित 25000/- रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अभियुक्त राजकुमार उर्फ दादे पुत्र जगन्तु निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत गलगली मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

25000/- रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त राजकुमार उर्फ दादे पुत्र जगंतु नि0 चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 148/22 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 182/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवा0 अधि0 थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 194/22 धारा 279/323/427/504/506 भा0द0वि0 थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 174/23 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बाघराय प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 199/23 धारा 387/504 भा0द0वि0 थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 154/24 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 26/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 थाना बाघराय प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 सौरभ शर्मा व का0 अमरजीत थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-10.09.2025
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस की बड़ी सफलता, चोरी हुई मोटर साइकिल संग 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

भुपियामऊ सब्जी मंडी से चोरी हुई मोटरसाइकिल का खुलासा, थाना कोतवाली देहात पुलिस ने शातिर चोर को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल(बिना नंबर प्लेट) के साथ किया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामाऊ पुल के अंतिम छोर (रानीगंज की तरफ) जाने वाले से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक- 06.09.2025 को वादी नि0ग्रा0 भुपियामऊ थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ अपने घर से सब्जी लेने के लिए सुपर स्प्लेंडर से भुपियामऊ सब्जी मंडी आया हुआ था। वादी सब्जी लेने के बाद जब गाड़ी के पास पहुँचा,

तो उसकी गाड़ी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 235/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेत्तृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह हे०का0 विरेन्द्र यादव, का० अनुज कुमार, का0 किशन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 235/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त शिवम मिश्रा उर्फ लकडू पुत्र त्रिभुवननाथ मिश्रा नि०ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल(बिना नंबर प्लेट) के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामाऊ पुल के अंतिम छोर (रानीगंज की तरफ) जाने वाले से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हमने यह मोटर साइकिल भुपियामऊ सब्जी मंडी से चोरी किया था। पकड़ जाने कि डर से हम नंबर प्लेट हटा कर चला रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
अभियुक्त शिवम मिश्रा उर्फ लकडू पुत्र त्रिभुवननाथ मिश्रा नि0ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 285/2018 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 235/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

बरामदगी-
चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल(बिना नं0 प्लेट)बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह हे०का0 विरेन्द्र यादव, का० अनुज कुमार, का0 किशन यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।